# कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा / माध्य / मा–स / विविध / वो–II / 2018 /                    दिनांक :– यथा हस्ताक्षर

**समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक,**
**स्कूल शिक्षा।**

**विषय** :– ऑनलाईन गेमों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों हेतु जागरूकता गाइड्लाइन।

**प्रसंग** :– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक : 15.10.2018

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 15.10.2018 द्वारा बालक–बालिकाओं में चैलेंज देकर कुण्ठा, स्वःघात तथा निराशा जैसी मानसिक कमजोरियाँ उत्पन्न करने वाले ऑनलाईन गेम के प्रति जागरूकता तथा विद्यालयों में इसके प्रति सतर्कता बरतने हेतु निर्देश प्रदान दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुवर्तन में वर्तमान में प्रचलित **"ऑनलाईन गेम"** यथा पबजी, गेम्बलिंग आदि के सम्बन्ध में विस्तृत परिचयात्मक विवरण देते हुए विद्यालयों एवं अभिभावकों द्वारा अपने विद्यार्थियों एवं बच्चों को इसके दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने हेतु दायित्व एवं अग्रिम सतर्कता तथा सावधानी बरती जानी है।

**<u>"ऑनलाईन गेम" क्या हैं</u>** :–

ये एक प्रकार के ऑनलाईन मोबाईल एप होते हैं, जो उपयोगकर्ता को लुभावने झांसे देकर रातों–रात करोड़पति बनने के सपने दिखाते हैं। उक्त लालच में उपयोगकर्ता इन ऑनलाईन मोबाईल एप को अधिकाधिक उपयोग में लेते हैं तथा अपने द्वारा दांव पर लगाई गई राशि को गवाँ बैठते हैं।

ये गेम एक प्रकार का जुआँ ही होता है, जिसके वशीभूत होकर उपयोगकर्ता अधिक राशि प्राप्त करने हेतु राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कर्ज भी लेता है एवं अंततः राशि प्राप्त नहीं होने पर चोरी जैसे अपराध भी करता है।

उक्त स्थिति में दांव पर लगाई गई राशि गवाँ बैठने पर के फलस्वरूप उपयोगकर्ता में धीरे–धीरे एकाकी प्रवृति में चला जाता है तथा घोर निराशा की ओर अग्रसर हो जाता है और कभी–कभी आत्मघाती कदम भी उठा लेता है। ये गेम उपयोगकर्ता को समाज, परिवार और पढ़ाई से दूर कर निराशा, घृणा और मानसिक तनाव की ओर ले जाते हैं।

अतः परिवार, अभिभावक एवं विद्यालय का दायित्व है कि वे विद्यार्थियों में इन डिजिटल अपराधों के सम्बन्ध में न केवल जागरूक रहे, वरन् सजग भी रहें, जिसके लिए अग्रांकित गाइड्लाइन की सहायता ली जानी अत्यावश्यक है :–

## <u>ऑनलाईन गेमों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों हेतु जागरूकता गाइड्लाइन</u>

**1. <u>सहपाठियों के पारस्परिक दायित्व</u>** :–

यद्यपि सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया अनवरत होती है। हम हर कहीं से सीखते हैं, परन्तु शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया में सबसे सहज अपने मित्र और सहपाठी के साथ होता है। बहुत सी बातें जो पुस्तकों और शिक्षकों से नहीं सीख पाता है, वह बालक अपने मित्रों और सहपाठियों से सहज ही में सीख जाता है। अच्छा मित्र वही होता है, जो अपने सहपाठी के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में सहायक हो।

RajKaj Ref
7166268

इस नाते एक सहपाठी का का यह दायित्व है कि वह अपने साथी मित्र के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तत महसूस करें, उसका मित्र विद्यालय में मोबाईल लाए अथवा घर या अन्य स्थान पर मोबाईल को मित्र से छुपाने का प्रयास करे, मित्र अकेले में रहना प्रारंभ कर दे, तो उसके अभिभावक एवं अपने कक्षाध्यापक को इस सम्बन्ध में सूचित करे तथा उस पर नजर रखे।

पारस्परिक मित्रों द्वारा एक दूसरे पर रखी ऐसी नजर से भी भ्रामक दिशा देने वाले इन ऑनलाईन गेम के भयावह दुष्परिणामों की रोकथाम की जा सकती है।

**2. <u>संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के दायित्व</u> :–**

बालक–बालिकाएँ अपना अधिकांश सचेतन समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं, अतः विद्यालय की गतिविधियाँ इसे अधिकतम प्रभावित करती है। इस सम्बन्ध में प्रशासन की सजगता एवं दायित्वबद्धता आवश्यक है। जिसके सम्बन्ध में अग्रांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है :–

- विद्यालय में मोबाईल के उपयोग के सम्बन्ध में जारी इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक : 04.05.2024 के अनुसार निर्देशानुसार उपयोग ही अनुमत है, अतः संस्था प्रधान कक्षाध्यापक के माध्यम से इस निर्देश की पालना सुनिश्चित करावें कि विद्यालय में विद्यार्थी मोबाईल का उपयोग केवल अध्ययन कार्य में ही करें।
- संस्थाप्रधान तेजी से परिवर्तित हो रहे ग्लोबल वातावरण, डिजिटल परिवर्तन आदि के संबंध में स्वयं अद्यतन रहें तथा प्रार्थना सभा में संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों से संबंधित नवीन चुनौतियों, परिवर्तनों के बारे में उन्हें जागरूक करें, सचेत रखें।
- कक्षाध्यापक किसी बालक–बालिका में हुए आकस्मिक व्यवहारगत् परिवर्तन पर सूक्ष्म दृष्टि रखें, ऐसा एहसास होने पर न केवल उसकी तह तक जाए, वरन् उनके माता–पिता से तत्काल सम्पर्क स्थापित करें।
- यदि कोई विद्यार्थी इन ऑनलाईन गतिविधियों में संलिप्त है, तो उस पर विशेष नजर रखी जानी आवश्यक है। ऐसे विद्यार्थियों की सामूहिक एवं व्यक्तिगत काउन्सलिंग भी की जावे।
- साइबर कानून संबंधी जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत कराया जावे।
- विद्यालय में विद्यालयी खेलकूद का नियमित आयोजन हो, जिससे मनोरंजन के विकल्पों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को अन्यत्र दृष्टि नहीं डालनी पड़े।
- नियमित गृहकार्य की जाँच की जावे, गृहकार्य में शिथिलता बरतने वाले विद्यार्थियों को इस दृष्टि से भी परखा जावे।
- यदि संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को किसी विद्यार्थी के इन ऑनलाईन गेम में संलिप्त होने की जानकारी मिलती है, तो तत्काल संवेदनशील होते हुए उस पर नजर रखी जावे, उसके माता–पिता तथा काउन्सलर से सम्पर्क कर उसका मानसिक स्तर सही करने का प्रयास किया जावे। प्रयास यह होना चाहिए कि विद्यार्थी ऐसी डिजिटल उलझन से यथासम्भव दूर ही रहे।

RajKaj Ref
7166268

**3. <u>अभिभावकों के दायित्व</u> :–**

डिजिटल गैजेट्स उपयोगी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परन्तु उसका कब और कैसा उपयोग किया जाना है, इसे ध्यान में रखा जाना बहुत आवश्यक है। माता–पिता अपने किशोरवय बालक–बालिकाओं को गैजेट्स दिलाने से पहले उसकी आवश्यकता और उपयोग का आकलन अवश्य करें।

प्रायः यह देखा जाता है कि अभिभावक केवल प्रतिस्पर्धा में अपने बालक–बालिकाओं को महँगे फोन, आई–पेड और डिजिटल गैजेट्स दिला देते हैं। इसे उपलब्ध कराने भर से दायित्व का निर्वहन नहीं हो जाता। अभिभावकों को यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि :–

- जिस उद्देश्य के ये गैजेट्स दिलाए गए हैं, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इनके फोन, गैजेट्स में चाइल्ड़ लाक लगाया जावे अथवा ऐसा साफ्टवेयर उपयोग में लिया जाए जिससे प्रतिबंधित कार्यक्रम, साईट्स का उपयोग नहीं किया जा सके।
- बालक–बालिका के मोबाईल एवं गैजेट्स को समय–समय पर जाँचना आवश्यक है। यदि उस पर लॉक है, फिर तो अवश्य जाँचा जावे। उसकी निजता का सम्मान करना भी जरूरी है, परन्तु अभिभावक के नाते उसे सही दिशा की ओर अग्रसित करना भी आवश्यक है।
- यदि उसके व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन आ रहा हो, बालक–बालिका एकाकी रहने लगा हो, चिडचिड़ा हो गया हो, बात–बात पर उत्तेजित हो रहा हो या उत्तेजनाशून्य हो, तो आवश्यक रूप से उसके मानसिक व्यवहार में निरीक्षण की आवश्यकता है।
- विद्यालय समय पर जाना और लौटना, मित्रों से अनायास बातें कम करना, अध्ययन में रूचि नहीं लेना, नियमित दिनचर्या में परिवर्तन आदि ऐसे लक्षण हैं, जिससे यह आभास होता है कि बालक–बालिका की प्राथमिक रूचि परिवर्तित हो गई है। ऐसी स्थिति में अभिभावक सचेत हो जाए, विद्यालय में सम्पर्क करे। आवश्यकता होने पर मनोपरामर्शक के साथ अपने बालक–बालिका की काउन्सलिंग भी करावें।

अंततः उपर्युक्त गाइड्लाइन के उपयोग द्वारा विद्यार्थियों को डिजिटल समझ के अभाव अथवा निरर्थक उपयोग के कारण व्यक्तित्व निर्माण में आने वाली बाधाओं एवं मानसिक उलझनों में पड़कर निराशा की ओर अग्रसर होने से बचाना है। प्रयास यही हो कि किसी भी वैज्ञानिक/डिजिटल सुविधा का सही उपयोग हो, अधिगम में सहायक बने, ना कि अधिगम को बाधित करे और विद्यार्थी के मानसिक विकास की दिशा में रूकावट बने।

**(आशीष मोदी)**
**आई.ए.एस.**
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
7166268

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर/सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को पालनार्थ।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
7166268

Document certified by ASHISH MODI
<ashishmodi.kgp@gmail.com>.
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :06-06-2024 09:06:31